भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *43

गुरुवार, 6 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)

नौकरी की परिभाषा मे परिवर्तन

***43 श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्व-रोजगार को नौकरियों की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हर तीन में से एक युवा न तो शिक्षित है, न नियोजित है और न ही प्रशिक्षित है और इस समूह में 95 प्रतिशत महिलाएँ हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"नौकरी की परिभाषा मे परिवर्तन" के संबंध में श्री देरेक ओब्राईन द्वारा दिनांक 06.02-2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किए जाते हैं जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण में ऐसी सभी गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां माना जाता है जिन गतिविधियों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है।

ऐसे व्यक्ति कामगार कहलाते हैं जो आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं अथवा जो आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद, बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, त्योहारों, सामाजिक या धार्मिक कार्यों या अन्य आकस्मिकताओं के कारण काम से अस्थायी तौर पर गैर-हाजिर रहे। ऐसे अवैतनिक घरेलू सदस्यों को भी कामगार माना जाता है जो घरेलू कृषि अथवा गैर-कृषि गतिविधियों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सहायता करते हैं। कामगारों को आगे स्व-नियोजित, नियमित मजदूर/वेतनभोगी कर्मचारी और नैमित्तिक कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है जो [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण के रुझान, 2024 के अनुसार] युवाओं की 13.3 प्रतिशत की वैश्विक बेरोजगारी दर से कम है।

इसके साथ-साथ, आईएलओ -आईएचडी (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन -मानव विकास संस्थान) द्वारा प्रकाशित इंडिया रोज़गार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, कुल युवा आबादी में बेरोज़गार युवाओं की हिस्सेदारी 2019 में 7% से घटकर 2022 में 5% हो गई। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 के दौरान कुल युवा आबादी (15-29 वर्ष) में से 37**%** नियोजित थे, 35% छात्र थे, 22% घरेलू कामों में तैनात थे और केवल 5% ही बेरोजगार थे।

***